राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: [illegible] Ph.: 0141-2706736 (O);

3

क्रमांक: एफ4 (42)आकाशि/निसं/2021/ 136 दिनांक– 23/02/2022

संशोधन आदेश

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 4(42)आकाशि/निसं/2021/91 दिनांक 01.01.2022 द्वारा सत्र 2021–22 हेतु जारी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशोधन करते हुए संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021–22 (एक सत्र) के स्थान पर सत्र 2021–22 से 2023–24 (तीन सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
सैण्ड ड्यून्स अकादमी, 116 [illegible] विहार, न्यू [illegible] रोड, [illegible], जयपुर।	सैण्ड ड्यून्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स [illegible], [illegible] रोड, [illegible], [illegible], जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय– अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र। विज्ञान संकाय– वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र।

1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2024–25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन वर्षों में मानदण्डानुसार भूमि की पूर्ति पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा भवन की अग्नि सुरक्षा (एन.ओ.सी.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा [illegible] महाविद्यालय के प्रकरण में [illegible] से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।
7. संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार ही स्वीकृत सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021–22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

A.Sharma
PRINCIPAL
SAND DUNES COLLEGE OF EXCELLENCE